भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

01.04.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 6118 का उत्तर

कोलकाता मेट्रो की संरचनात्मक स्थिति

6118. श्रीमती माला राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलकाता मेट्रो के पिलर, प्लेटफॉर्म की छत और रेलवे ट्रैक जैसे संरचनात्मक स्थिति की निगरानी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त मेट्रो की संरचनात्मक स्थिति की समय-समय पर की जाने वाली निगरानी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख) भारतीय रेल में कोलकाता मेट्रो सहित रेलपथ, सुरंगों, पुलों और संरचनाओं के निरीक्षण और रखरखाव की एक सुस्थापित प्रणाली है, जैसा कि विभिन्न विभिन्न नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया है।

कोलकाता मेट्रो के सभी रेलपथ, पुल, सुरंग और अन्य संरचनाओं की निगरानी नियमित और आवधिक निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से की जाती है जो निर्धारित रखरखाव और निरीक्षण कार्यक्रमों के अनुसार अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसमें दैनिक गश्त, पैदल निरीक्षण, ट्रॉली निरीक्षण और फुट प्लेट/रियर विंडो निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्य निर्धारित निरीक्षण शामिल हैं। मेट्रो रेल अधिकारियों द्वारा किए गए नियमित और आवधिक निरीक्षणों के आधार पर, आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्यों की योजना बनाई जाती है और कार्य निष्पादित किए जाते हैं।

नेमी निरीक्षण के अलावा, संरचनाओं की सुदृढ़ता के व्यापक मूल्यांकन के लिए राइट्स लिमिटेड जैसी विशेषीकृत एजेंसियों के माध्यम से विशेष तकनीकी निरीक्षण भी किए जाते हैं।

पुलों, सुरंगों, रेलपथों और अन्य संरचनाओं की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन एक सतत प्रक्रिया है और जब भी इन निरीक्षणों के दौरान उनकी वास्तविक स्थिति का पता चलने पर इन्हें निष्पादित किया जाता है। वर्तमान में वायाडक्ट और स्टेशन संरचनाओं के पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 82 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>कोलकाता मेट्रो</u>

कोलकाता मेट्रो 1972 में शुरू की गई थी। तब से कमीशन की गई मेट्रो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई मेट्रो
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 कि.मी.
2014 से 2025 (11 वर्ष)	45 कि.मी.

कमीशन किए गए मेट्रो कॉरिडोरो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मेट्रो कॉरिडोर	कमीशन किया गया खंड
1.	कवि सुभाष - नोआपारा (28 कि.मी.) (ब्लू लाइन)	यह कॉरिडोर वित्त वर्ष 2013-2014 से पहले कमीशन किया गया था (इसे पूरा करने में लगभग 42 वर्ष का समय लगा)।
2.	नोआपारा - दक्षिणेश्वर (4.14 कि.मी.) (ब्लू लाइन का विस्तार)	यह कॉरिडोर वर्ष 2020-21 में कमीशन किया गया।
3.	नोआपारा - जयहिंद एयरपोर्ट - बारासात (18 कि.मी.) (येलो लाइन)	नोआपारा - जयहिंद हवाई अड्डा खंड (6.77 कि.मी.) वर्ष 2025-26 में कमीशन किया गया।
4.	जोका - माजेरहाट - एस्प्लेनेड (14 कि.मी.) (पर्पल लाइन)	जोका - माजेरहाट खंड (7.74 कि.मी.) वर्ष 2022 से 2024 के बीच चरणों में कमीशन किया गया।
5.	न्यू गरिया - बेलाघाटा - दमदम	न्यू गरिया - बेलाघाटा (9.8 कि.मी.) वर्ष

	एयरपोर्ट (32 कि.मी.) (ऑरेंज लाइन)	2023 से 2026 के बीच चरणों में कमीशन किया गया
6.	हावड़ा मैदान - साल्ट लेक सेक्टर v. (16.55 कि.मी.) (ग्रीन लाइन)	यह कॉरिडोर वर्ष 2019 से 2026 के बीच चरणों में कमीशन किया गया

इसके अलावा, लगभग 52 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 4 मेट्रो कॉरिडोर से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से 20 किलोमीटर का कार्य भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार से संबंधित उपयोगिता स्थानांतरण समस्याओं के कारण रुके हुए हैं। यद्यपि, शेष मेट्रो खंड में कार्य प्रगति पर है, फिर भी राज्य सरकार की ओर से एक या अन्य कारणों की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(i) नोआपारा - जय हिन्द एयरपोर्ट - बारासात (18 कि.मी.): नोआपारा-जय हिन्द एयरपोर्ट (6.77 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और जय हिन्द एयरपोर्ट से माइकल नगर तक का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, न्यू बैरकपुर से बारासात (7.5 कि.मी.) तक का कार्य भूमि अधिग्रहण और राज्य अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण संबंधी मुद्दों के कारण रुका हुआ है।

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	न्यू बैरकपुर से बारासात	• इस खंड में भूमि अधिग्रहण (23,000 वर्ग मीटर) और अत्यधिक अतिक्रमणों (1277 झोपड़ियाँ, 764 दुकानें) को हटाना शामिल है। • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी मामले का समाधान नहीं किया गया है।

(ii) जोका - माजेरहाट - एस्प्लेनेड (14 कि.मी.):- जोका - माजेरहाट (7.74 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और माजेरहाट से एस्प्लेनेड (6.26 कि.मी.) तक का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन	• राज्य सरकार (कोलकाता सशस्त्र पुलिस) की 837 वर्ग मीटर की स्थायी और 1702 वर्ग मीटर की अस्थायी भूमि को उपयोगिता साधनों की

		शिफ्टिंग और सड़क यातायात के डायवर्जन के लिए आवश्यक है। इस भूमि के लिए 24.08.2020 को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। • उपर्युक्त भूमि हस्तांतरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई थी। • बहुत अनुनय के बाद, राज्य सरकार ने लगभग 5 वर्ष बाद अंतत: जुलाई 2025 में अनुमोदन प्रदान किया।
2.	डॉ. बी.सी. रॉय मार्केट	• एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए, रक्षा विभाग की भूमि पर बी.सी. रॉय मार्केट में 528 अवैध दुकानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना अपेक्षित है। • इन दुकानों के अस्थायी/स्थायी स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रस्ताव फरवरी 2022 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इन अनधिकृत दुकानों के अस्थायी स्थानांतरण के लिए रेलवे द्वारा दुकानों का निर्माण भी किया गया। • राज्य सरकार से स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है। • यह मामला 3.5 वर्षों से लंबित है।

(iii) न्यू गरिया - बेलाघाटा - दमदम एयरपोर्ट (32 कि.मी.): न्यू गरिया - बेलाघाटा (9.8 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और बेलाघाटा से दमदम एयरपोर्ट (22.2 कि.मी.) तक के शेष कार्य को शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	चिंगरीघाटा क्रॉसिंग (बेलाघाटा - गौर किशोर घोष स्टेशन के बीच)	• वायडक्ट सेगमेंट की लॉन्चिंग के कारण चिंगरीघाटा क्रॉसिंग पर सड़क के दोनों ओर 3 रातों (प्रत्येक रात 8 घंटे) के लिए अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन अपेक्षित है। • यह प्रस्ताव दिसंबर, 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत किया गया था। • कोलकाता यातयात पुलिस की वांछानुसार परिवर्तित

		मार्ग पहले ही फरवरी, 2025 में निर्मित किया जा चुका है। • तब से, अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गईं हैं। • लगभग बारह माह बीत जाने के बाद भी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(iv) वराहनगर - बैरकपुर - दक्षिणेश्वर (14.5 कि.मी.): वराहनगर - दक्षिणेश्वर (2 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है और वराहनगर से बैरकपुर (12.5 कि.मी.) तक का शेष कार्य राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा संरेखण में जनोपयोगी साधनों को स्थानांतरित करने में विलंब के कारण रुका हुआ है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	वराहनगर से बैरकपुर	• बी.टी. रोड के समानांतर मूल संरेखण पर वर्ष 2011 में मेट्रो रेलवे, आरवीएनएल और कोलकाता नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार सहमति बनाई गई थी। • समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान पाइपलाइन को 64 इंच की नई पाइपलाइन से प्रतिस्थापित किया जाना था। • पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य वर्ष 2012 में पूरा हो गया था। • बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार से अभी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
